बिहार सरकार
वित्त विभाग

वित्त विभाग के संकल्पों, परिपत्रों आदि का संकलन

COMPENDIUM OF RESOLUTIONS, CIRCULARS ETC.
OF THE FINANCE DEPARTMENT

(वर्ष 1955 से अगस्त, 2024 तक संकलित)

सम्राट चौधरी,
उप मुख्य (वित्त) मंत्री, बिहार
SAMRAT CHOUDHARY,
Deputy Chief (Finance) Minister,
Bihar.

बिहार सरकार

बिहार सरकार
मुख्य सचिवालय, पटना–800015
Government of Bihar
Main Secretariat, Patna-800015
Tel. 0612-2217894,
Fax : 0612-2217639
E-mail : dycmbiharsamrat@gmail.com

शुभकामना संदेश

यह प्रसन्नता का विषय है कि वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों, अनुदेशों, संकल्पों, आदेशों एवं अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों का परिपत्र–संग्रह ऑनलाईन एवं ऑफलाईन दोनों स्वरूपों में प्रकाशित किया जा रहा है।

परिपत्र–संग्रह में राज्य सरकार द्वारा निर्गत किये गये सभी महत्वपूर्ण प्रशासकीय नियमों, निर्देशों, अनुदेशों, संकल्पों को खंडवार सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया गया है और संदर्भ के मामले में इसे विषयवार उप–वर्गीकृत किया गया है। यह वित्त विभाग के साथ–साथ अन्य विभागों को भी सरकार के पारदर्शी और नियम आधारित शासन के अनुरूप कार्य करने में सहायक होगा।

मुझे विश्वास है कि इस परिपत्र–संग्रह से विभिन्न विभागों के सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में लाभ होगा।

वित्त विभाग के जिन पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने इस संकलन को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, मैं उन्हें शुभकामनायें देता हूँ।

(सम्राट चौधरी)

लोकेश कुमार सिंह, भा०प्र०से०
सचिव (संसाधन),
वित्त विभाग, बिहार, पटना
LOKESH KUMAR SINGH, I.A.S,
Secretary (Resource),
Finance Department, Bihar, Patna

बिहार सरकार
मुख्य सचिवालय, पटना–800015
Government of Bihar
Main Secretariat, Patna-800015
Tel. 0612- 2211452,
E-mail : secy.r.finance@bihar.gov.in

प्रस्तावना

सरकारी कार्यों के निष्पादन एवं निर्णय लिए जाने की प्रक्रिया को सरल बनाने और राज्य सरकार के आय–व्यय के प्रबंधन के लिए वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर काफी संख्या में निर्देश, परिपत्र और अधिसूचनायें निर्गत किये गये हैं। विभागों एवं कार्यालयों में प्रस्तावों पर कार्रवाई के लिए इन परिपत्रों की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से विभागीय परिपत्रों को संकलित कर परिपत्र–संग्रह के प्रकाशन की आवश्यकता महसूस की गयी।

विभागीय परिपत्र–संग्रह को पाँच भागों में प्रकाशित किये जाने का निर्णय लिया गया है। परिपत्र–संग्रह के भाग–1 में वित्त नियमावली, क्रय के संबंध में दिशा–निर्देश, योजना की स्वीकृति, अग्रिम आदि से संबंधित परिपत्र; भाग–2 में कर, उपकर, शुल्क, बजट, व्यय, कोषागार आदि से संबंधित परिपत्र; भाग–3 में वेतन पुनरीक्षण, वेतनमान, वित्तीय उन्नयन आदि से संबंधित परिपत्र; भाग–4 में सरकारी सेवकों की सेवा शर्त्तें, सुविधायें, अग्रिम, ऋण, भत्ते आदि से संबंधित परिपत्र तथा भाग–5 में वेतन भुगतान, पेंशन, भविष्य निधि, अनुग्रह अनुदान आदि से संबंधित परिपत्रों को संकलित किया गया है।

परिपत्र–संग्रह को प्रकाशित करने का उद्देश्य निर्धारित प्रक्रियाओं और नियमों को साझा करना एवं प्रसारित करना है। नियम / सरकारी अनुदेश परिवर्तनशील हैं; अतः परिपत्र–संग्रह में सम्मिलित नियम / पत्र यदि भविष्य में परिवर्तित किये जाते हैं, तो तद्नुसार संबंधित परिपत्रों को विभाग द्वारा अद्यतन कर लिया जाना चाहिए।

मुझे यह विश्वास है कि यह परिपत्र–संग्रह सरकारी कर्मचारियों के लिए मूल्यवान दस्तावेज सिद्ध होगा।

(लोकेश कुमार सिंह)

दीपक आनन्द, भा०प्र०से०,
सचिव (व्यय),
वित्त विभाग।

बिहार सरकार

मुख्य सचिवालय, पटना–800015
दूरभाष : 0612–2203357

प्राक्कथन

विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्र/अनुदेश/संकल्प/अधिसूचनाएँ विभागीय वेबसाइट् पर यद्यपि उपलब्ध हैं, परन्तु इन्हें खोजने में काफी असुविधा होती है और समय का अपव्यय होता है। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण परिपत्र विभागीय वेबसाइट् पर उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए विभाग द्वारा निर्गत सभी महत्वपूर्ण परिपत्रों को संकलित कर पाँच भागों में मुद्रित किये जाने का निर्णय लिया गया। कोई भी कर्मचारी वित्त विभाग के परिपत्रों को आसानी से प्राप्त कर सके इसलिए परिपत्र–संग्रह को ऑनलाईन ई–कम्पेडियम के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। इच्छुक व्यक्ति वित्त विभाग के वेबसाईट से इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

आशा है इससे सरकारी काम–काज में पारदर्शिता आयेगी और नियम आधारित निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। इससे आवश्यक प्रस्तावों को गठित करने, उसकी समीक्षा करने एवं सक्षम स्तर पर निर्णय लेने में सुविधा होगी तथा समय की भी बचत होगी।

श्री लोकेश कुमार सिंह, भा०प्र०से०, सचिव (संसाधन) के मूल्यवान मार्गदर्शन के बिना इस परिपत्र–संग्रह का प्रकाशन संभव नहीं था। साथ ही श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा, भा०प्र०से०, तत्कालीन अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने विभिन्न प्रशाखाओं के मध्य समन्वय स्थापित कर इसके संकलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

श्रीमती ममता मीनाक्षी, बि०प्र०से०, उप सचिव, श्री कामाख्या नारायण श्रीवास्तव, प्रशाखा पदाधिकारी, श्री नीरज कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, श्री गिरिवर राम, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, श्रीमती रश्मि रेखा, सिस्टम एनालिस्ट, श्रीमती झुम्पा सिन्हा, आई०टी० मैनेजर, परिपत्र–संग्रह के संकलन में किये गये अथक प्रयास के लिए प्रशंसा के पात्र हैं।

हालाँकि इसके संकलन में सभी संभव सावधानियाँ बरती गई हैं, परन्तु संभावित त्रुटि के लिए उपयोगकर्ताओं के किसी भी सुझाव का हम स्वागत करते हैं।

(दीपक आनन्द)

तिथि–..................................

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2024